Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 390.264 हे0 में से रकवा 370.152 हे0 कक्ष क्रमांक पी.एफ.–258, 259, 260, 261 एवं 262 संरक्षित वन भूमि एवं 20.112 हे0 राजस्व वन भूमि है।

2. वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 390.264 हे0 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत बीना–ककरी एकीकरण परियोजना में ओपनकास्ट माइनिंग का प्रस्ताव है

3. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि रकवा 370.152 हे0 कक्ष क्रं0 पी.एफ.–258, 259, 260, 261 एवं 262 इस वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।

4. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:–

> (अ) 2.47 (9)– कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।
>
> (ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।

5. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

(ए.एस. तिवारी)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली